B.ed 1st year Unit-5 C2 paper

Page-6 विद्यालयों के शैक्षिक उत्तरदायित्व, कार्य एवं महत्व :

1. विद्यालय और बच्चों का ~~मानसिक~~ शारीरिक विकास,

2. विद्यालय एवं बच्चों का मानसिक विकास
3. सामाजिक विकास
4. सांस्कृतिक विकास
5. नैतिक एवं चारित्रिक विकास

1. विद्यालय और बच्चों का शारीरिक विकास → शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को कुछ विषयों का ज्ञान कराना ही नहीं होता है बल्कि शिक्षा से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। मनुष्य के किसी भी प्रकार के विकास के लिए उसका शारीरिक विकास बहुत आवश्यक होता है। आज के विद्यालय में बालक - बालिकाओं के शारीरिक विकास के लिए बहुत से उपाय एवं कोशिश किया जाता है।

Teacher's Signature............

7

2. **मानसिक विकास** — मानसिक विकास का सीधा संबंध विचारों से होता है और विचारों का भाषा से, इसलिए मानसिक विकास का सबसे पहला सोपान भाषा का विकास कैसा होता है भाषा के साथ विचारों का तथा विचारों के साथ भाषा का विकास होता है। ये दोनों विकास एक साथ होते हैं। इसके बाद इसके इसके क्षेत्र में मानसिक शक्तियों स्मृति, कल्पना चिंतन और तर्क आदि का विकास आता है। और मानसिक विकास की उच्चतम सीमा में विवेक शक्ति का विकास आता है। तीसरे सोपान पर विभिन्न तथ्यों की जानकारी आती है। और चौथे तथा अंतिम सोपान पर मानसिक रोगों से बचने के उपाय आते हैं। बच्चों के इस सम्पूर्ण मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक अवसर विद्यालयों में मिलते हैं।

3. **सामाजिक विकास** — आधुनिक युग में विद्यालयों का प्रमुख कार्य बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना है, मनुष्य जन्म से ही सामाजिकता की भावना

का विकास करता है, और वास्तविकता की इस प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है लेकिन वह अपनी जाति के प्राणियों के बीच किस प्रकार से रह रहे है, इसका प्रशिक्षण उसे अपने सामाजिक पर्यावरण से ही मिलता है।

4. <u>सांस्कृतिक विकास</u> — विद्यालय समाज की संस्कृतियों को सुरक्षित रखते है और बच्चों में उनका संक्रमण करते है। हमारा देश विविधताओं वाला देश है, विद्यालय में भाषा और इतिहास आदि के माध्यम से बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाता है।

5. <u>नैतिक एवं चारित्रिक विकास</u> विद्यालय में बच्चों को अच्छा सामाजिक वातावरण मिलता है विद्यालय सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने पर उनमें अपना संवेग होता है सही बात के समर्थन में शक्ति का प्रयोग करना होता है, संवेगों का नियंत्रण करना और नियमों का पालन करना जो नैतिक विकास में योगदान देता है।

विद्यालयों की समकालीन संरचना

विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र काफी ही व्यापक है इसके अंतर्गत विद्यालय समाज शासन स्तर, नीति - निर्धारण स्तर पर सम्पन्न होने वाले सभी कार्य आ जाते है। संक्षेप में विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र निम्नलिखित है।

1. विद्यालय के उद्देश्य का निर्धारण
2. विद्यालय के संचालन हेतु नीति-नियम एवं योजना तैयार करना।
3. विद्यालय में मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधन की व्यवस्था करना।
4. वित्तीय संसाधन जुटाना एवं उचित रूप से वितरण करना।
5. विद्यालय के कार्यालय द्वारा लेखा प्रबंधन एवं आय - व्यय प्रबंधन करना
6. विद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, सुविधाएँ, प्रोन्नति आदि के बारे में सजग रहना एवं कार्य करना।
7. शिक्षकों कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना
8. विद्यालय में पावर (शक्ति) का उचित बँटवारा करना तथा समय-समय पर अधिकार एवं कर्तव्यों में समन्वय रखना आदि।

विद्यालय प्रबंधन के विषय क्षेत्र के संबंध में टेलर महोदय ने स्पष्ट किया है - " वैज्ञानिक प्रबंधन के आधारभूत सिद्धांत हमारे साधारण से साधारण व्यक्तिगत कार्यों से लेकर विशाल नियमों के कार्यों तक में लागू होते हैं । विद्यालय विषय के प्रबंधन क्षेत्र को शैक्षिक क्रिया के आधार पर निम्नलिखित कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

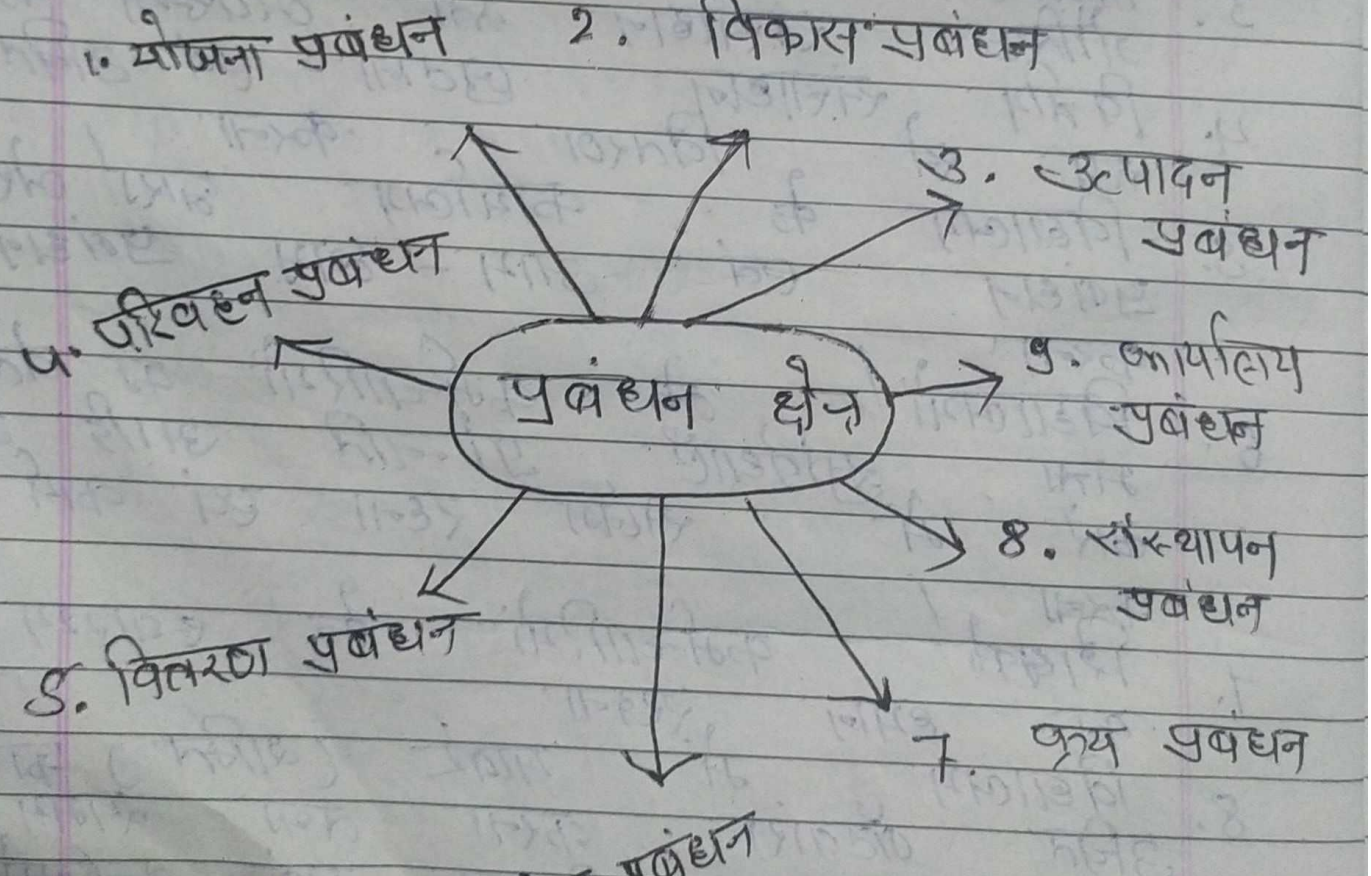

* विद्यालय शिक्षा के ऐतिहासिक एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य →

21वीं सदी के पहले दशक मे ही बच्चों की शिक्षा के संदर्भ कई नीतिगत दस्तावेजों को लाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण है - नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इन दोनों दस्तावेजों ने आज की अपेक्षाओं के अनुसार विद्यालय की संरचना मे परिवर्तनों की जरूरत पर जोर दिया।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम नीति के कारण न सिर्फ विद्यालय भवनों के बनने में तेजी आई बल्कि इस नियम के कारण विद्यालय भवनों की किसी क्षेत्र में सघनता पर भी प्रभाव पड़ा। यह कई अध्ययनों जैसे - प्रोब रिपोर्ट में निकल कर आया कि विद्यालय से दूरी के कारण भी कई बच्चे विद्यालय नही जाते है। अतः अधिनियम के मानकों में विद्यालय भवन की स्थिति का भी जिक्र किया गया अधिनियम के कुछ भाग ~~लिखे~~ नीचे दिये जा रहे है जो निम्न है।

1. विद्यालय योजना निर्माण से सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक

12

अंतर को कम करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है।

(ii) विद्यालय प्रबंध समिति उसे वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है अंत से कम-से-कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय योजना तैयार करेगी।

(iii) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक योजनाएँ होंगी।

(iv) विद्यालय विकास योजना से निम्नलिखित ब्यौरा होंगे (क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन (ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित एवं अतिरिक्त अवसंरचना की (भौतिक अपेक्षा)